

2014 का विधेयक सं.8

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।

2. (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन.- (1) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 28), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धारण.- मूल अधिनियम को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्घृत किया जायेगा।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

दीर्घ नाम.- दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भरतपुर में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ण) “विश्वविद्यालय” से धारा 3 के अधीन निगमित महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अभिप्रेत है;”।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर” के स्थान पर अभिव्यक्ति “महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर” प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भरतपुर राज्य के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की एतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार ने बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 28) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX
XX XX XX

दीर्घ नाम.- राजस्थान राज्य में भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 है।

(2) से (3) XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (ढ) XX XX XX XX

(ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अभिप्रेत है;

(त) XX XX XX XX

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(2) से (4) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 8 of 2014

THE BRIJ UNIVERSITY, BHARATPUR

(CHANGE OF NAME) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Brij University, Bharatpur and to make certain amendments in the Brij University, Bharatpur Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Brij University, Bharatpur (Change of Name) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Brij University, Bharatpur.-

(1) The name of the Brij University, Bharatpur incorporated under the Brij University, Bharatpur Act, 2012 (Act No. 28 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur.

(2) Any reference to the Brij University, Bharatpur in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule to this Act.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Act, 2012.

THE SCHEDULE**(See section 3)**

Long Title.- In long title, for the existing expression "*Brij University at Bharatpur*", the expression "*Maharaja Surajmal Brij University at Bharatpur*" shall be substituted.

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Brij University, Bharatpur", the expression "the Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur" shall be substituted.

Section 2.- For the existing clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

"(o) "University" means the Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur incorporated under section 3;"

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression "the Brij University, Bharatpur", the expression "the Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the historical background of Maharaja Surajmal, the erstwhile ruler of Bharatpur State and to keep his memory immortal the State Government has decided to propose to change the name of the Brij University, Bharatpur to Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE BRIJ UNIVERSITY,
BHARATPUR ACT, 2012
(Act No. 28 of 2012)**

XX XX XX XX

Long Title.- An Act to establish and incorporate Brij University at Bharatpur in the State of Rajasthan and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.

XX XX XX XX

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Brij University, Bharatpur Act, 2012.

(2) to (3) xx xx xx xx

2. Definitions.-In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) to (n) xx xx xx xx

(o) "University" means the Brij University, Bharatpur incorporated under section 3;

(p) xx xx xx xx xx

3. Incorporation of the University.- (1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "the Brij University, Bharatpur" and shall have perpetual succession and a Common Seal and may, by that name, sue and be sued.

(2) to (4) xx xx xx xx

XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 8 of 2014

**THE BRIJ UNIVERSITY, BHARATPUR
(CHANGE OF NAME) BILL, 2014**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to change the name of the Brij University, Bharatpur and to
make certain amendments in the Brij University, Bharatpur
Act, 2012*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Kali Charan Saraf, **Minister-Incharge**)